

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05102021-230154 CG-DL-W-05102021-230154

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 32]

नई दिल्ली, सितम्बर 26 - अक्तूबर 2, 2021, शनिवार/ आश्विन 4- आश्विन 10, 1943

No. 32]

NEW DELHI, SEPTEMBER 26 - OCTOBER 2, 2021, SATURDAY/ ASVINA 4 - ASVINA 10, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, प्रयोगशाला परिचर (समूह - घ पद) भर्ती नियम 2002, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, प्रयोगशाला परिचर (समूह ग) भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. —वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है । उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति. —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---------------------|---|---|--|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| प्रयोगशाला परिचर | 54* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर. 1(18000- 56900 रु.) | लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पण: आयु सीमा अवधारि करने के लिए निर्णायक तारी वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ाणा गण विश्वाप . मता साध द्वाचा या पालान नाना । |
|--|---|-------------------------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी उत्तीर्ण या समतुल्य | लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर, लंबी बीमारी या अध्यन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में, एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (अ) जो नियमित आधार पर सद्रश पद धारण किए हुए हैं; (ब) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अईताएं और अनुभव हैं। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | भर्ती यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|---|--|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे) :- | लागू नहीं होता । |
| | (1) कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष; | |
| | (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; | |
| | (3) कनिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य। | |

[फा. सं. डीएफएसएस/38 (3)/2015]

नरेन्द्र कुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Directorate of Forensic Science Services)

New Delhi, the 27th September, 2021

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Laboratory Attendant (Group 'D' Post) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, namely:—

Short title and commencement.—

- These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Laboratory Attendant (Group 'C') Post Recruitment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. —The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. —No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or Non- | e and |
|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|
| (1) Laboratory Attendant | (2) 54 * (2021) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'C', Non- Gazetted, Non Ministerial | (4) Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-) | (5) Not applicable | (6) Between 18 and 27 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes | | direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by |
|--|--|-----------|---|
| (7) | (8) | (9) | various methods |
| 10 th class pass or equivalent from a recognised board. | Not applicable | Two years | By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation |

| | or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of central Government- (a) holding analogous posts on regular basis. (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. |
|--|---|
|--|---|

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|--|
| (11) Not applicable | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; (2) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services - Member; (3) Junior Scientific Officer, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Member. | (13) Not applicable. |

[F. No. DFSS/38(3)/2015]

NARENDER KUMAR, Under Secy.